12
period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons should be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter they may be continued on re-employment.) (The period of deputation including the period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department in the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years.) (The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of the applications.)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making rectt.
13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee: 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjang Hospital, New Delhi—Chairman 2. Chief Administrative Officer, Safdarjang Hospital—Member. 3. Officer Incharge Deployment, Safdarjang Hospital, New Delhi—Member	Not applicable

[No. A-12018/12/92-RR(H)]
LAL SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1996

सा. का. नि. 120.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और

(i) सफदरजंग अस्पताल (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1973 को जहां तक उनका संबंध सहायक मैट्रन के पद से है;

(ii) विलिंगडन अस्पताल और नर्सिंग होम (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1973, को जहां तक उनका संबंध सहायक मैट्रन के पद से है;

(iii) लेडी हार्डिंग मैडीकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (समूह "ग" पद) नियम, 1981 को जहां तक उनका संबंध सहायक नर्सिंग अधीक्षक के पद से है;

(iv) कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1981 को, जहां तक उनका संबंध सहायक नर्सिंग अधीक्षक के पद से है।

(v) जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी (श्रेणी III पद) भर्ती नियम, 1975 को, जहां तक उनका संबंध सहायक नर्सिंग अधीक्षक के पद से है;

(vi) मानसिक रोग अस्पताल, रांची (श्रेणी 3 और श्रेणी 4 पदों की भर्ती) नियमावली, 1959 को, जहां तक उनका संबंध सहायक नर्सिंग अधीक्षक के पद से है,

उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल/डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल/लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल/कलावती सरन बाल चिकित्सालय/जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान पांडिचेरी/केन्द्रीय मनोविकार-विज्ञान संस्थान रांची में सहायक नर्सिंग अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफदरजंग अस्पताल/डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल/लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल/कलावती सरन बाल अस्पताल/जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी/केन्द्रीय मनोविकार-विज्ञान संस्थान, रांची (सहायक नर्सिंग अधीक्षक) भर्ती नियम, 1996 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
सहायक नर्सिंग अधीक्षक	221* (दो सौ एक्कीस) (1996) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	2000-60-2300-द.रो.-75-3200 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली—72
2. डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली—46
3. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमति सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली—36
4. कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली—20
5. जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, संस्थान, पांडिचेरी—34
6. केन्द्रीय मनोविकार-विज्ञान संस्थान, रांची—13

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित और शैक्षिक अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	सफदरजंग अस्पताल : सफदरजंग अस्पताल में कार्यरत ऐसी नर्सिंग सिस्टर/वार्ड सिस्टर, मनोविकार नर्स, लोक स्वास्थ्य नर्स जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल : डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कार्यरत ऐसी नर्सिंग सिस्टर/वार्ड सिस्टर मनोविकार नर्स लोक स्वास्थ्य नर्स जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल : लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में कार्यरत ऐसी नर्सिंग सिस्टर/वार्ड सिस्टर, मनोविकार नर्स, लोक स्वास्थ्य नर्स जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। कलावती सरन बाल अस्पताल : कलावती सरन बाल अस्पताल में कार्यरत ऐसी नर्सिंग सिस्टर, वार्ड सिस्टर, मनोविकार नर्स, लोक स्वास्थ्य नर्स जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी : जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी में कार्यरत ऐसी नर्सिंग सिस्टर/वार्ड सिस्टर, मनोविकार नर्स, लोक स्वास्थ्य नर्स जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। केन्द्रीय मनोविकार-विज्ञान संस्थान, रांची : केन्द्रीय मनोविकार विज्ञान संस्थान, रांची में कार्यरत ऐसी नर्सिंग सिस्टर/वार्ड सिस्टर मनोविकार नर्स, लोक स्वास्थ्य नर्स जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी— 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक—अध्यक्ष 2. मुख्य नर्सिंग अधिकारी/नर्सिंग अधीक्षक—सदस्य 3. उप निदेशक, प्रशासन/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी—सदस्य	लागू नहीं होता

[सं. 11013/3/9[illegible]—आर आर (पी.1)]

लाल सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 19th February, 1996

G.S.R. 120.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the—

(i) Safdarjang Hospital (Class III posts) Recruitment Rules, 1973, in so far as they relate to the post of Assistant Matron;

(ii) Willingdon Hospital and Nursing Home (Class III posts) Recruitment Rules, 1973, in so far as they relate to the post of Assistant Matron;

(iii) Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1981, in so far as they relate to the post of Assistant Nursing Superintendent;

(iv) Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1981, in so far as they relate to the post of Assistant Nursing Superintendent;

(v) Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical and Research, Pondicherry (Class III posts) Recruitment Rules, 1975, in so far as they relate to the post of Assistant Nursing Superintendent;

(vi) Hospital for Mental Diseases, Ranchi, (Recruitment to Class III and Class IV posts) Rules, 1959, in so far as they relate to the post of Assistant Nursing Superintendent, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Nursing Superintendent in Safdarjang Hospital|Dr. Ram Manohar Lohia Hospital|Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital|Kalawati Saran Children's Hospital|Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education & Research, Pondicherry, Central Institute of Psychiatry, Ranchi, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Safdarjang Hospital|Dr. Ram Manohar Lohia Hospital|Lady Hardinge Medical College & Smt. S. K. Hospital|Kalawati Saran Children's Hospital|Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Pondicherry|Central Institute of Psychiatry, Ranchi, (Assistant Nursing Superintendent) Recruitment Rules, 1996.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.—The method of the recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972.
1	2	3	4	5	6
Assistant Nursing Superintendent	221	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted,	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200/-	Selection	Not applicable

2	3
*(Two hundred and twenty one) (1996)† †1. Safdarjung Hospital, New Delhi-72 2. Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi-46 3. Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi-36 4. Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi-20 5. Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Pondicherry-34 6. Central Institute of Psychiatry, Ranchi-13 *Note : Subject to variation dependent on workload.	Non-Ministerial

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various method
7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	100% by promotion

In case of recruitment by promotion/ Deputation/transfer grade from which promotion/transfer to be made	If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Safdarjung Hospital : Nursing Sisters/ Ward Sisters, Psychiatric Nurses, Public Health Nurses with 5 years regular service in the grade working in Safdarjung Hospital. Dr. Ram Manohar Lohia Hospital : Nursing Sisters/Ward Sisters, Psychiatric Nurses, Public Health Nurses with 5 years regular service in the grade working in Dr. Ram Manohar Lohia Hospital. Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital : Nursing Sisters/Ward Sisters, Psychiatric Nurses, Public Health Nurses with 5 years regular service in the grade working in Lady Harding Medical College and Smt. Sucheta Kripalani Hospital. Kalawati Saran Children's Hospital : Nursing Sisters/Ward Sisters, Psychiatric Nurses, Public Health Nurses with 5 years regular service in the grade working in Kalawati Saran Children's Hospital.	Group 'C' Departmental Promotion Committee : Consisting of :— 1. Additional Medical Superintendent —Chairman 2. Chief Nursing Officer/Nursing Superintendent—Member 3. Deputy Director Administration/ Chief Administrative Officer —Member	Not applicable

12
Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education & Research, Pondicherry : Nursing Sisters/Ward Sisters, Psychiatric Nurses, Public Health Nurses with 5 years regular service in the grade working in Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education & Research, Pondicherry. Central Institute of Psychiatry, Ranchi : Nursing Sisters/Ward Sisters, Psychiatric Nurses, Public Health Nurses with 5 years regular service in the grade working in Central Institute of Psychiatry, Ranchi.

[F. No. A-11018/5/94-RR(H)]
LAL SINGH, Under Secy.

पर्यावरण और वन मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1996

सा.का.नि. 121—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वन शिक्षा, निदेशालय, देहरादून के कार्यालय, राज्य वन सेवा महाविद्यालय, कोयम्बटूर तथा बरनिहाट और पूर्वोत्तर रेंजन महाविद्यालय कुर्सिअांग में कतिपय समूह "ख" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन शिक्षा निदेशालय और इसके घटक महाविद्यालय (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1996 है।

(2) ये राजपत्र के प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध करना अपेक्षित है ।